बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं0सं0–01/स्था0 (सूचना)–01/14 4625 /न0वि0एवंआ0वि0। राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन वाद सं0–86171/12–13, श्री सुनील कुमार बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधुबनी में लोक सूचना पदाधिकारी–सह– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधुबनी द्वारा आयोग को यह बताया गया था कि आवेदक के द्वारा मांगी गई सूचना, जो किसी कनीय अभियंता के नियुक्ति के प्रसंग में थी, वह उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसके पश्चात् लोक सूचना पदाधिकारी को इस बात को शपथ पत्र के माध्यम से आयोग के समक्ष रखने का कहा गया, परन्तु बाद में सुनवाई के समय यह बताया गया कि आवेदक के द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध हो गया है तथा आवेदक को उपलब्ध करा दिया गया है। इस प्रकार लोक सूचना पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधुबनी द्वारा प्रथम अवसर पर स्पष्ट रूप से आयोग को गुमराह करने वाली सूचना दी गई है।

श्री जटाशंकर झा, कार्यपालक पदाधिकारी–सह– लोक सूचना पदाधिकारी, नगर परिषद, मधुबनी द्वारा प्रथम अवसर पर आयोग को गुमराह करने वाली सूचना देने हेतु राज्य सूचना आयोग के द्वारा कड़ी टिप्पणी की गई है। श्री झा का यह कृत्य अत्यन्त ही खेदजनक एवं सरकारी कर्तव्यों के निर्वह्न में लापरवाही का द्योतक है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत वाद सं0–86171/12–13, श्री सुनील कुमार बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधुबनी में श्री जटाशंकर झा, कार्यपालक पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, नगर परिषद, मधुबनी द्वारा राज्य सूचना आयुक्त को प्रथम अवसर पर कथित भ्रामक सूचना देने का दोषी मानते हुए उन्हें चेतावनी संसूचित की जाती है तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न हो, इसके लिए सचेत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–
(भरत झा)
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (सूचना)–01/14 4625/न0वि0आ0वि0, पटना/दिनांक– 28/8/18

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मधुबनी/श्री जटाशंकर झा, कार्यपालक पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, नगर परिषद, मधुबनी/श्री सुनील नायक, नियर टेलीफोन एक्सचेंज, स्टेशन रोड, वार्ड नं0–08, पो0+जिला–मधुबनी–847211 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री राम बालक ठाकुर, राज्य सूचना आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को उनके ज्ञापांक–2956 दिनांक–13.08.18 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–09/श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
–सह–विशेष सचिव।